



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940
No. 763] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 886(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
551	133ई	बिहार राज्य में भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ढाका मोड़ को जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/झारखंड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
552	122बी	बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर महानर, मोहिउद्दीन नगर को जोड़ते हुए बछवारा के निकट रारा-122 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
553	333सी	बिहार राज्य में चकाई के निकट रारा-333 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और सरवन (खड़गडीहा रोड) के निकट बिहार/झारखंड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

554	527ई	बिहार राज्य में रामनगर के निकट रारा-27 (प्रस्तावित दरभंगा बाइपास) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बेहारी को जोड़ते हुए और रोसरा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
555	327एडी	बिहार राज्य में सरायगढ़ के निकट रारा-327ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लालगंज को जोड़ते हुए और गणपतगंज के निकट रारा-131 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
556	319ए	बिहार राज्य में मोहनिया के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़, चौसा को जोड़ते हुए और बक्सर के निकट रारा-124सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
557	131बी	बिहार राज्य में नौगछिया के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-15017/7/2019-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 694-95 (अ), दिनांकित 05.02.2019 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 886(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
551	133E	The highway starting from its junction with NH-33 near Bhagalpur connecting Dhaka More and terminating at Bihar/ Jharkhand border near Baljhor (Hansdiha road) in the state of Bihar.
552	122B	The highway starting from its junction with NH-22 near Hazipur connecting Mahanar, Mohiuddin Nagar and terminating at its junction with NH-122 near Bachwara in the State of Bihar.
553	333C	The highway starting from its junction with NH-333 near Chakai and terminating at Bihar/ Jharkhand Border near Sarwan (Kharagdiha Road) in the State of Bihar.
554	527E	The highway starting from its junction with NH-27 (Proposed Darbhanga Bypass) near Ramnagar connecting Behari and terminating at Rosera in the State of Bihar.
555	327AD	The highway starting from its junction with NH-327A near Saraigarh connecting Lalganj and terminating at its junction with NH-131 near Ganpatganj in the State of Bihar.

556	319A	The highway starting from its junction with NH-19 near Mohania connecting Ramgarh, Chausa and terminating at its junction with NH-124C near Buxar in the State of Bihar.
557	131B	The highway starting from its junction with NH-31 near Naughachia and terminating at its junction with NH-33 near Bhagalpur in the State of Bihar.

[F. No. NH-15017/7/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 694-95 (E), dated 05.02.2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 887(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 76 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
76	322	बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुशरीघरारी, समस्तीपुर, दरभंगा को जोड़ते हुए बेला नवादा के निकट पर रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-15017/7/2019-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. 694-95 (अ), दिनांकित 05.02.2019 द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 76 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
76	322	The highway starting from its junction with NH-22 near Hazipur connecting Mushrigharari, Samastipur, Darbhanga and terminating at its junction with NH-27 near Bela Nawada in the State of Bihar.

[F. No. NH-15017/7/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification No. 694-95 dated the 05.02.2019.